

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी

आई0ए0एस0



राजस्व अपील सं0 33/2021

गेंदा पुत्र श्रवणजाति माली निवासी ग्राम रजवास शेरसिंह तहसील लवाण जिला दौसा दौसा
...अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लवाण जिला दौसा

...रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 9.06.2021 न्यायालय नायब तहसीलदार लवाण प्रकरण उनवानी सरकार बनाम गेंदा प्रकरण संख्या 04/2021 अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री वरुण नागर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 7.10.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार लवाण ने दिनांक 09.06.2021 को ग्राम रजवास तहसील लवाण के आ0ख0 नं0 390 रकबा 0.01 है. किस्म सिवायचक (गै0मु0रास्ता) भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, फसल नीलामी एवं लगान के 50 गुना शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि नायब तहसीलदार लवाण द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 09.06.2021 विधि प्रक्रिया, तथ्यों के विपरीत है। अपीलांट ने भूमि खसरा नंबर 390 रकबा 0.01 है0 पर कथित रूप से कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट पर अतिक्रमण की एक गलत रिपोर्ट पटवारी हल्का ने तहसीलदार लवाण के समक्ष प्रस्तुत की, जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट व उसके सह खातेदारों की भूमि खसरा नंबर 379 से 389 व 391, 392 610 से 615, 617 से 620, 622 कुल किता 24 रकबा 5.45 है0 स्थित है। अपीलांट व अन्य सभी भाई उक्त भूमि में सह खातेदार है। इस संबंध में एक वाद भी माननीय न्यायालय सिविल जज, दौसा के यहाँ उक्त भूमि में से अवैध रूप से जबरन रास्ता निकाले जाने के संबंध में चल रहा है, जिसमें यथास्थिति के आदेश हो रहे हैं। उक्त भूमि जिसका विवरण उपर दिया गया है, उसके पास होकर ही खसरा नंबर 390 गै0मु0 रास्ता आ जा रहा है। अपीलांट ने उक्त रास्ते में कतई अवरोध पैदा नहीं किया है लेकिन उसकी नाप जोख को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा कर खसरा नंबर 390 की आड में मिन अपीलांट व उनके भाईयों की खातेदारी भूमियों से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को सभी तथ्यों से अवगत करा दिया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सही प्रकार से सुनवाई का अवसर नहीं देकर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को बेदखली का आदेश पारित करने से पूर्व खसरा नंबर 390 व अपीलांट की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का सीमाज्ञान कराये बिना ही अपीलांट को

बेदखल करने का आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अपीलांट एक सदभावी खातेदार है व सदभावी रूप से अपनी भूमि पर काबिज है। यदि फिर भी कोई विवाद है तो उस विभाग को भू प्रबंध विभाग से नाप जोख करवाई जाकर समाप्त करवाया जा सकता था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर अपीलांट के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित कर कानूनी गलती की है। उक्त आदेश की आड में अपीलांट को भारी पुलिस बल से उनकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने का प्रयास भी किया गया था जिसके संबंध में अलग से अवमानना याचिका संबंधित न्यायालय में पेश की जावेगी। अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट की अनुपस्थिति में दिनांक 9.6.2021 को ही निर्णय पारित कर दिया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा वरवक्त बहस दस्तावेज सूची मय दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी रजवास शेरसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम- 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत् 2078 में राजकीय सिवायचक गै०मु०रास्ता भूमि खसरा नंबर 390 रकबा 0.01 है० पर चरी/ज्वार की बुवाई की जाकर अतिचार किया जाना अंकित है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नंबर 390 पर कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट दस्तावेज सूची मय सिविल न्यायालय दौसा में विचाराधीन मु०नं० 58/2020 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट बाद तामील उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलांट का यह कथन सही नहीं है कि अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जब अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ तो अधीनस्थ न्यायालय को स्थगन बाबत तथ्यों को किस प्रकार अवगत करा सकता है। अपीलांट का यह कथन भी असत्य है कि अधीनस्थ न्यायालय को सभी तथ्यों से अवगत करा दिया गया था पत्रावली में संलग्न सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 3.7.2020 का अवलोकन किया गया। स्थगन आदेश में खसरा नंबर 390 में निर्माण कार्य करने हेतु अप्रार्थी स्वतंत्र होना बताया है। खसरा नंबर 390 पर माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। अपीलांट्स अपनी खातेदारी भूमि का सक्षम अधिकारी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र देकर सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है। यदि खातेदारान अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराना चाहते हैं तो तहसीलदार लवाण के समक्ष सीमाज्ञान हेतु आवेदन कर सीमाज्ञान करा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।



उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

